26.12.25

पत्रावली वास्ते डिक्री प्रा. पत्र हेतु पेश हुई। उपरोक्त प्रा. पत्र धारा 11 व आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार कर दावा खारिज किया जाता है विस्तृत डिक्री अलग से शामिल किया गया डिक्री जारी हो पत्रावली नंबर से दफ्तर हो

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/428

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:50 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

रामस्वरूप बनाम मोहनी देवी आदि

किस्म मुकदमाः–88,53,188 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः– 104/2022 (GCMS 2022/428)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.2025	पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र धारा 11 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हूऐ निवेदन किया कि इन्ही वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य, इसी रकबा का इन्ही धारा 88–53 आर.टी.ए. में इसी न्यायालय में जैरकार था, जिसमें दिनांक 18.05.2007 को दावा व प्रतिदावा स्वीकार कर उक्त रकबा में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा घोषित कर दिया व खाता विभाजन हेतु श्रीमान् तहसीलदार सूरतगढ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया था तथा इसी निर्णय अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर दी थी। इस निर्णय एव डिक्री के खिलाफ श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील नं. 133/15 रामेती देवी बनाम रामस्वरूप पेश हुई, जो दिनांक 04.08.2016 को खारिज हो गई, जिसकी द्वितीय अपील नं0 6575/2016 रामेती देवी बनाम रामस्वरूप माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है जिसमें आगामी पेशी 22.12.2025 नियत है इसलिए जब इस रकबा का इन्ही पक्षकारो के मध्य इन्ही धाराओ में दावा निर्णित हो चुका है तो पुनः नया दावा नही चल सकता इसलिए इस दावा को पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर तथा वाद कारण के अभाव में खारिज किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने बहस में निवेदन किया कि पूर्व निर्णय की पालना में व इस वाद मे पुनः प्राथमिक डिक्री जारी कर वादी अपना खाता विभाजन चाहता है, प्रकरण में पूर्व मे पारित निर्णय की पालना में अभी तक विभाजन प्रस्ताव नही आया है इसलिए वादी को नया दावा पेश करना पड़ा है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी खारीज कर इस वाद का जवाब दावा लिया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से यह बात साबित है कि इसी रकबा का इन्ही पक्षकारो के मध्य इन्ही धाराओ में पूर्व मे दावा नं0 76/03 रामस्वरूप बनाम मोहनी अनवानी वाद में दिनांक 18.05.2007 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है तथा उस निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील नं0 6575/2016 रामेती बनाम रामस्वरूप जैरकार है तथा दिनांक 17.10.2016 से अपील मे स्थगन भी जारी है इसलिए जब इन्ही पक्षकारो के मध्य इसी रकबा का घोषणात्मक दावा निर्णित होकर प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है तो पुनः अप्रार्थी/वादी को नया दावा पेश करने का वाद कारण पैदा नही होता तथा यह दावा पूर्व न्याय के सिद्धान्तो से भी बाधित है इसलिए हम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा इसी स्तर पर खारिज करना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर वाद वादीगण पूर्व न्याय के सिद्धान्तो से बाधित होने से व वाद कारण के अभाव में दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान से भी प्रतिबन्धित होने से खारीज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2025.12.30 12:00:50 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. रामस्वरूप पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादी

बनाम

1. मोहनी देवी पत्नी गंगाराम
2. रामकुमारी पुत्री गंगाराम
3. रामकला पुत्री गंगाराम
4. रामेती पुत्री गंगाराम
5. रामदेई पुत्री गंगाराम
6. रामदुलारी पुत्री गंगाराम
7. रामनारायणी पुत्री गंगाराम
8. राममुर्ती पुत्री गंगाराम
9. रामरखी पुत्री गंगाराम
10. विक्रम पुत्र केसराराम
11. विनोद कुमार पुत्र केसराराम
12. शाखा प्रबन्धक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्मस वर्तमान पीएनबी शाखा बीरमाना
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–88,53,188 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 104 वर्ष 2022 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री कमलदत्त शर्मा तथा वकील प्रतिवादी श्री शिशपाल शर्मा व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

"वाद वादीगण पूर्व न्याय के सिद्धान्तो से बाधित होने से व वाद कारण के अभाव में दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान से भी प्रतिबन्धित होने से खारीज किया जाता है।"

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत..... x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह..... x..... फस्दों की पालना..... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26.12.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:50 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)